



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102021-230543
CG-DL-E-19102021-230543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3981]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943

No. 3981]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4330(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, सम्मिलित संगठन, सहारनपुर, कलक्ट्रेट आफिस, कोर्ट रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, तो इसे करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में विश्व रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम— सहारनपुर

क्र. सं.	परगना	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सहारनपुर	देवबन्द	आखलौर खेडी	724	0.0096
				725/952	0.0112
				727	0.0080
				725	0.0080
2			रसूलपुर मजरा रणखण्डी	425	0.0070
				426	0.0240
				310	0.0120
				394	0.0525
3			रणखण्डी	1038	0.0350
				1040	0.0780
				1044	0.0260
				1046	0.0070
				196	0.0307
4			खरंजा अहमदपुर	253	0.0360
				251	0.0156
5			गुनारसी	54/2	0.0123
				54/3	0.0108
				54/4	0.0111
				54/5	0.0126
6			मेघराजपुर	31	0.0602
7			पण्डौली	470	0.0190
8			साखन कलां	122	0.1058
				115	0.0125
				1512	0.0128
				573	0.0330
9			मीरपुर मोहनपुर	519	0.0510
10		सदर	शेखपुर कदीम	2389/2	0.0050
				3280/2	0.0450

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2231]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निर्देशक (भू. एवं सु. और स्टे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th October, 2021

S.O. 4330(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Saharanpur in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Special Land Acquisition Officer, Combined Organization, Collectorate Office, Court Road, Saharanpur, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Saharanpur in the State of Uttar Pradesh.

Name of District- Saharanpur

S. No.	Pargana	Tehsil	Name of the Village	Plot No.	Area (in Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saharanpur	Deoband	Akhmour Khedi	724	0.0096
				725/952	0.0112
				727	0.0080
				725	0.0080
2			Rasulpur mazra Rankhandi	425	0.0070
				426	0.0240
				310	0.0120
				394	0.0525
3			Rankhandi	1038	0.0350
				1040	0.0780
				1044	0.0260
				1046	0.0070
	196	0.0307			

4			Khadanja Ahamadpur	253	0.0360
				251	0.0156
5			Gunarsi	54/2	0.0123
				54/3	0.0108
				54/4	0.0111
				54/5	0.0126
6			Meghrajpur	31	0.0602
7			Pandoli	470	0.0190
8			Sakhan Kalan	122	0.1058
				115	0.0125
				1512	0.0128
				573	0.0330
9			Meerpur Mohanpur	519	0.0510
10		Sadar	Shekhpur Kadim	2389/2	0.0050
				3280/2	0.0450

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2231]

A. K. SINHA, Executive Director (LA and SD)